कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 1937 /22–1, दिनांकःअलीगढ़,दिसम्बर 07 ,2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषयः– **हाथरस में पीलीभीत–भरतपुर मार्ग (एस0एच0–33) कि0मी0 219–220 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम हाथरस देहात के खसरा संख्या–176 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निमार्ण हेतु 0.02775 है0, संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।**

सन्दर्भः– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय लखनऊ का पत्रांक 8बी/06/40/2016/ एफ0सी0/127 दिनांक 07.07.2017 एवं पत्रांक 8बी/06/ 40/2016 / एफ0सी0 409 दिनांक 26.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय लखनऊ द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुबार आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस द्वारा पत्र संख्या 1236/22–1 दिनांक 13.11.2017 से उपलब्ध करायी गयी है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या के आधार पर आपत्तियों का निम्नप्रकार निराकरण कर अभिलेख एवं सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित।

क0सं0	लगाई गयी आपत्ति	उत्तरालेख
1	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाईल पोलिलाइन फोरमेट में दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाईल पोलिगन फोरमेट में प्रस्तुत की जाये।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाईल पोलिगन फोरमेट में प्रस्तुत है। संलग्नक–सी0डी0
2	प्रस्तावित वनभूमि के भूसन्दर्भित मानचित्र में curved portion के Geo Coordinates नहीं दिये गये है।	प्रस्तावित वनभूमि के भूसन्दर्भित मानचित्र में curved portion के Geo Coordinates अंकित कर दिये गये है। संलग्नकः–1
3	GIS DSS Analysis के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि का कुछ भाग विद्यमान मार्ग में आ रहा है, स्पष्ट करें।	GIS DSS Analysis के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि का कुछ भाग त्रुटिवश विद्यमान मार्ग में आ गया था। जिसे सहीं कर दिया गया है। संलग्नकः–1
4	प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का प्रवेश एवं निकास मार्ग का ले आउट प्लान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मानकों के अनुसार है या नहीं स्पष्ट करें।	प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का प्रवेश एवं निकास मार्ग का ले आउट प्लान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मानकों के अनुसार है।
5	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अलग अलग दस्तावेजों में प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम एवं दिनांक अंकित नहीं है। अतः अनुपालन आख्या से सम्बन्धित दस्तावेज प्राधिकृति हस्ताक्षरी के नाम, मोहर एवं दिनांक सहित प्रस्तुत करें।	अनुपालन आख्या से सम्बन्धित दस्तावेज प्राधिकृति हस्ताक्षरी के नाम, मोहर एवं दिनांक सहित प्रस्तुत है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

C.F. Office/Draftman/Land Transfer/com-ii

पत्रांक 1937/14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
2. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।